



UPEW010015932026

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah  
पीठासीन अधिकारी- (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632

Bail Application 486/2026

शैलेन्द्र कुमार उर्फ सतेन्द्र कुमार उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र रमेश चन्द्र निवासी -ग्राम भैंसाई थाना  
भरथना जिला इटावा।

--- आवेदक/अभियुक्त

-प्रति-

उत्तर प्रदेश राज्य।

---विपक्षी।

अपराध संख्या 222/2019

धारा-135 विद्युत अधिनियम

थाना- भरथना जिला-इटावा।

दिनांक-09.03.2026

1- यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार उर्फ सतेन्द्र कुमार** की ओर से विशेष वाद सं०-1121/2022 मु०अ०सं०-222/2019 अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम थाना- भरथना जनपद इटावा में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके द्वारा विद्युत विभाग की धनराशि जमा कर दी गयी है। उस कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

3- विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक, विद्युत को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- अवलोकन से विदित है कि मामले में आरोप पत्र प्राप्त हो चुका है। अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

6- प्रार्थी/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार उर्फ सतेन्द्र कुमार** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-20,000/-रुपये का निजी बंधपत्र व समराशि की एक प्रतिभू दाखिल किए जाने पर जमानत रिहा किया जाये।

(अंकुर शर्मा)

विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.) इटावा।

J.O. CODE : UP01632